संख्या-59/2024/1641/22-2-2022-17(1293)/2022

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2024*

विषय:- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री तुलसी राम कहार, निवासी जनपद-अयोध्या की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 16.03.2022, दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रसाद पुत्र श्री तुलसी राम कहार, पिलखॉवां, थाना-रौनाही, जनपद-अयोध्या का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.06.1980 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भगवती प्रसाद नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-223/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3, फैजाबाद के आदेश दिनांक 28.08.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने मे अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा अपरिहार 03 वर्ष 02 माह 18 दिन तथा सपरिहार 03 वर्ष 11 माह 16 दिन की भोगी गयी सजा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रसाद (बन्दी संख्या-8899/2018) पुत्र श्री तुलसी राम कहार, निवासी जनपद-अयोध्या की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-59/2024/1641(1)/22-2-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ममता श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।